संख्या-328/2020/522/22-2-2020-17(213)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2020*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामऔतार पुत्र श्री लालता प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20-05-2020 दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामऔतार पुत्र श्री लालता प्रसाद, हरिहरपुर मजरा-रघुनाथपुर, थाना-संदना, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा करीब एक माह पहले चकरोड़ में नाली बनवाने के रंजिश को लेकर दिनांक 28.01.2007 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका व फरसा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-345/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीशए, सीतापुर के आदेश दिनांक 17.01.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.03.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 02 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, सजा की अवधि पूर्ण होने तक जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामऔतार (बंदी संख्या-48172) पुत्र श्री लालता प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-328/2020/522(1)/22-2-2020 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in